न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

अनवान लतीफ बनाम वेद प्रकाश आदि

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सीपीसी

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रस्तारित पत्रांक एवं दिनांक
27.03.2023	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 19 सीपीसी पर विद्वान प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि मूल पत्रावली कई वर्षो से विचाराधीन थी जो केवल अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की तलबी हेतु विचाराधीन थी। प्रार्थी के माता, पिता व वकील साहबान वृद्धावस्था तथा अस्वस्थ होने के कारण पत्रावली में उपस्थित नही हो सके क्योंकि पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं होनी थीं। केवल तारीख पे तारीख लगातार दी जा रही थी। आदेश खारिजी के फर्द अहकाम में अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिजी की ई है जबकि मूल पत्रावली आने तक उस दिन अपील में कोई कार्यवाही नहीं होनी थी इसलिए किसी तरह की पैरवी भी नहीं की जानी थी। इसलिए भी आदेश खारिजी निरस्ती योग्य है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली आऐ बिना केवल अदम हाजरी व अदम पैरीव में खारिज की गई है जो कि निरस्ती आदेश गुणावगुण पर आधारित न होने पर आदेश खारिज योग्य है। प्रार्थी को उपराक्त निर्णय का ज्ञान प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से 15 वर्ष पूर्व हुआ कि प्रार्थी के भाई स्व0 इकबाल हुसैन के घर से समाचार प्राप्त हुआ कि सफाई के दौरान कुछ कागजात मिले है जिस पर प्रार्थी ने अपने पुत्र शमशेर अली एडवोकेट को पत्रावली लेने हेतु भिजवाया। उक्त पत्रावली में दस्तावेजों का निरीक्षण करने पर प्रार्थी ने पाया कि प्रार्थी की माता मु0 सायरा को आवंटित 6 बीघा कृषि भूमि की अपील तथा प्रार्थी के पक्ष में उक्त कृषि भूमि की वसीयत प्राप्त हुई है। तब प्रार्थी ने माननीय न्यायालय में पत्रावली के दस्तावेजों की प्रामणित प्रति प्राप्त की इससे पूर्व प्रार्थी को प्रश्नगत आदेश तथा वसीयत की कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थी को पत्रावली का 15 दिवस पूर्व ही ज्ञान हुआ है। इससे पूर्व प्रार्थी को ज्ञान नहीं था। प्रार्थी मियाद बाहर दिनों की माफी का हकदार है। अतः देरी क्षमा कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार	

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़(राज०)

Scanned with OKEN Scanner

किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन कियाकि मूल अपील संव 395/94 दिनांक 18.11.2000 को अदम पैरीव अदम हाजरी में खारिज फरमाई गई थी जिसको अब तक 21 साल हो चुके हैं। प्रार्थी का कथन है कि अब उसको अपने भाई कबाल हुसैन के घर से समाचार प्राप्त हुआ कि सफाई के दौरान कागजात मिले है। किसी भी प्रकार से साबित नही हो रहे कि उपरोक्त कथन सही हैं प्रार्थी द्वारा किसी वसीयत का विवरण दिया गया है जो उक्त प्रार्थना–पत्र में ही आवश्यक नहीं था। प्रार्थी को नाजायज तंग परेशान करने हेतु उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने 21 साल बाद रेस्टोरेशन की कार्यवाही अमल में लाने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए कहीं ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेज पेश नहीं किये जिससे साबित हो कि प्रार्थी को 21 साल तक उसकी मां द्वारा प्रस्तुत अपील की जानकारी नहीं हो। अपील दिनांक 18.11.2000 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई थी एवं प्रार्थी की माता सायरा बानो का देहान्त 15.02.2007 को हुआ था एवं उसके अधिवक्ता का भी उसके लगभग 10 वर्ष बाद हुआ है। प्रार्थी का यह तथ्य स्वीकार्य नहीं है कि उसे अपील के खारिज होने का ज्ञान नहीं हुआ। अतः प्रार्थना–पत्र मियाद बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

इस न्यायालय द्वारा मूल अपील सं0 375/94 अनवान मु0 सायरा बनाम मनीराम आदि दिनांक 18.11.2000 को अदम पैरवी आदम हाजरी में खारिज की गई थी एवं प्रार्थी की माता सायरा जो कि अपील में अपीलांटा था उसकी मृत्यु 15.05.2007 को हुई थी। उसके कई वर्ष बाद उसके अधिवक्ता की मृत्यु हुई है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अपील खारिज होने की दिनांक 18.11.2000 के दिनांक 17.08.2020 को अपील को रेस्टोर करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त अवधि लगभग 20 वर्ष की है। इतने विलम्ब से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का कोई उचित कारण नहीं बताया है। अतः प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 19 सीपीसी खारिज किया जाता है। प्रार्थना–पत्र निर्णित शुमार एवं नंबर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

27/2/25

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़(राज0)

Scanned with OKEN Scanner